

अध्याय-3 (Vol-1)

व्यापार समर्थक बनाम पक्षपातवाद

PRO-BUSINESS VS PRO-CRONY


भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा बाज़ार समर्थक नीतियों को बढ़ावा देने पर निर्भर करती है जो एक ओर धन सृजन के लिये प्रतस्पर्द्धी बाज़ारों की शक्ति को छूट देना चाहती है, वहीं दूसरी ओर उन व्यापार समर्थक नीतियों से दूर रहती है जिससे नज्दी हतियों, वशिषकर शक्तिशाली कारोबारी घरानों को बढ़ावा मलि सकता है।

व्यापार समर्थक, रचनात्मक वधिवंस और धन सृजन

(PRO-BUSINESS, CREATIVE DESTRUCTION AND WEALTH CREATION):

- वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद प्रतस्पर्द्धी बाज़ारों को खुली छूट मलि गई जिससे रचनात्मक वधिवंस करने वाली शक्तियाँ सकरयि हो गईं।
- उदारीकरण के बाद सेंसेक्स में तेज़ी से बढ़ोत्तरी हुई। जहाँ वर्ष 1999 में सेंसेक्स को 5000 अंकों तक पहुँचने में 13 वर्ष लग गए, वहीं अगले 5000 की ऊँचाई को छूने में लगने वाले समय में तेज़ी से कमी आई।
- बाज़ार समर्थक नीति एवं रचनात्मक वधिवंस के बीच संबंध को सेंसेक्स की संरचना से दर्शाया जाता है।
 - वर्ष 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत के बाद वर्ष 1996 तक सेंसेक्स सूचकांक के तहत पंजीकृत फर्मों में शायद ही कोई बदलाव आया हो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता की स्थिति को प्रकट करता है।
 - वर्ष 1991 में उदारीकरण के बाद नई फर्मों, नए वचिराँ, नई प्रौद्योगिकियों और नई प्रचालन प्रकरयिओं का तीव्र गति से आगमन हुआ जिसके कारण वर्ष 1996 में सेंसेक्स में तेज़ी आई।
 - वर्ष 1996 के बाद प्रत्येक 5 वर्षों में सूचकांक से लगभग एक-तहिाई फर्मों प्रतस्थिापति हो गईं।
- वर्ष 1996 के बाद सेंसेक्स में तेज़ी आने के साथ-साथ जहाँ फर्मों की वविधिता में वृद्धि हुई, वहीं फर्मों के कषेत्रीय संकेंद्रण में कमी देखी गई जो रचनात्मक वधिवंस को दर्शाता है। वतितीय और सूचना प्रौद्योगिकी कषेत्र जो कि 1990 के दशक के सेंसेक्स में लगभग नगण्य थे, आज सेंसेक्स में 50% से अधिक बाज़ार हसिसेदारी के लयि ज़मिमेदार हैं।
- वर्तमान में सेंसेक्स में न केवल बड़ी संख्या में वभिन्नि कषेत्र शामिल हैं बल्कि कंपनयिों के आकार के संबंध में भी अब यह अधिक लोकतांत्रिकि हुआ है। वर्ष 1991 में बाज़ार पूंजीकरण के संबंध में सूचकांक में शामिल बड़ी फर्मों छोटी फर्मों से लगभग 100 गुना बड़ी थी, दस वर्षों बाद यह अनुपात घटकर 75 रह गया है, जबकि वर्ष 2018 में यह अनुपात घटकर मात्र 12 रह गया।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के बाद रचनात्मक वधिवंस जैसी शक्तियों के कारण वतितीय और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नए कषेत्रों का उदय हुआ।
- 1990 के दशक की शुरुआत में सेंसेक्स में वभिन्नि कषेत्रों जैसे- वतितीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी की हसिसेदारी लगभग न के बराबर थी कति कुल बाज़ार पूंजीकरण में इन कषेत्रों की हसिसेदारी पछिले कुछ वर्षों में बढ़ी (लगभग 50%) है। बाज़ार पूंजीकरण में बढ़ती हसिसेदारी कंपनयिों के आकार में वृद्धि के बजाय उनकी संख्या में वृद्धि के कारण हुई है।
- रचनात्मक वधिवंस बाज़ार में नवाचार लाता है जो लोगों को पुरानी तकनीकों की अपेक्षा बेहतर सेवाएँ देता है। यह बाज़ारों में नए फर्मों के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है जो मौजूदा फर्मों के साथ प्रतस्पर्द्धा करते हैं और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लयि कीमतों में कमी लाते हैं। यह बाज़ारों में ऐसी गतिशीलता लाता है जिससे फर्मों नरितर सतर्क रहते हुए उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ देने के क्रम में बाज़ार पर नज़र रखती हैं।
- इस प्रकार सबसे बड़ी और सबसे छोटी फर्म के आकार के बीच अंतर में तेज़ी से कमी आ रही है, परणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में फर्मों के एकाधिकार की शक्ति घट रही है और अधिक प्रतस्पर्द्धी बाज़ारों के लयि नए रास्ते बन रहे हैं।

बाज़ारवादी और व्यवसायवादी अर्थ-शास्त्र के बीच अंतर



पक्षपातवाद और धन की बर्बादी

(PRO-CRONY AND WEALTH DESTRUCTION):

- बाज़ारवादी नीतियों के विपरीत पक्षपातवादी नीतियों से अर्थव्यवस्था में धन का क्षरण होता है क्योंकि पक्षपातवादी नीतियों से रचनात्मक वधिवंस की प्रक्रिया रुक जाती है।
- सर्वेक्षण में 75 भारतीय फर्मों के स्टॉक मार्केट इंडेक्स को प्रकाशित किया गया है जिन्हें 'कनेक्टेड' (Connected) के रूप में परिभाषित किया गया है। ये प्रॉकसी फर्म पक्षपातवादी नीतियों से लाभ उठा सकती हैं।
- वर्ष 2010 से पहले यदा किसी फर्म के प्रवर्तकों के राजनीतिक संपर्क होते थे तो उस फर्म और उसके शेयरधारकों को स्पष्ट लाभ प्राप्त होता था। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2010 में नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक की 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन नजी की कंपनियों की सूची प्रदान की गई, जिन्हें 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में लाभ पहुँचाया गया था।
 - यह पक्षपातवादी दृष्टिकोण बाज़ारवादी नीतियों की तुलना में विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष लागतों का कारक बनता है क्योंकि जब लोगों के पास अनुचित तरीके से लाभ कमाने के अवसर मौजूद हों तो फर्मों पर प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार के ज़रिये विकास करने के बजाय राजनीतिक पैठ का सहारा लेने लगती हैं। अतः इससे अर्थव्यवस्था में धन सृजन करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
 - इसके अलावा पक्षपातवादी नीतियों के कारण ईमानदार बजिनेसमैन एवं आम नागरिकों को नुकसान होता है जिससे अर्थव्यवस्था में आय असमानता बढ़ती है क्योंकि कनेक्टेड फर्मों उपलब्ध संपत्तिका वस्तुतः करने के बजाय मौजूदा संपत्तिका हड़पने के लिये अपनी राजनीतिक पैठ का इस्तेमाल करती हैं।

नीलामयियों के माध्यम से आवंटन की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आवंटन

(DISCRETIONARY ALLOCATION OF NATURAL RESOURCES VIS-À-VIS ALLOCATION VIA AUCTIONS):

- इस सर्वेक्षण में कोयला ब्लॉकों के संदर्भ में नीलामयियों के माध्यम से आवंटन की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आवंटन को लेकर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है क्योंकि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद कोयले का पाँचवा सबसे बड़ा रज़िर्व भंडार है। कोयला भारत के लिये महत्त्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है और इससे भारत की लगभग आधी से अधिक ऊर्जा आवश्यकताएँ पूरी होती हैं।
- वर्ष 1993 से पहले आबद्ध खानों के आवंटन के लिये कोई विशिष्ट मानदंड मौजूद नहीं थे। जून 1993 में कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973) में किए गए संशोधनों ने नजी कंपनियों को आबद्ध उपयोग के लिये कोयला खनन करने की अनुमति प्रदान की।
- वर्तमान में कोयला खदानों का आवंटन कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 (Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) के तहत किया जाता है। इस अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोयला ब्लॉकों का आवंटन पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से होगा।

प्राकृतिक संसाधनों के विकासधीन आवंटन में संबंधित पार्टी लेन-देन का उपयोग

(Use of Related Party Transactions in Discretionary Allotment of Natural Resources):

- संबंधित पार्टी लेन-देन (Related Party Transactions- RPT)- संबंधित पार्टी लेन-देन दो पक्षों के बीच एक सौदा या व्यवस्था है जो पहले से मौजूद व्यापार संबंध या सामान्य हति के कारण शामिल होते हैं।
- **सर्वेक्षण द्वारा उपयोग किये गए संबंधित पार्टी लेन-देन (RPT):**
 - संबंधित पक्षों से पूंजीगत वस्तुओं/उपकरणों को खरीदने के लिये।
 - संबंधित पक्षों को भुगतान किये गए परचालन खर्च के लिये।
 - **संबंधित पक्षों से परचालन आय के लिये।**
- ये तीनों RPT पूर्ववर्ती तीन वर्षों की तुलना में समिति-आधारित आवंटन के माध्यम से कोयला ब्लॉक की प्राप्ति के बाद तीन वर्ष की अवधि में एक उल्लेखनीय वृद्धि दिखाते हैं। नीलामी आधारित आवंटन के मामले में ऐसी कोई वृद्धि नहीं देखी गई है।
- संबंधित पार्टी लेन-देन (RTP) के अन्य तीन मुख्य प्रकार जैसे- पूंजीगत बकिरी, लिये एवं दिये गए ऋण तथा अग्रिम देय समिति आधारित आवंटन के मामले में कोई विशेष वृद्धि नहीं दिखाते हैं।
- RPT के साथ गैर-सूचीबद्ध/वदिशी संस्थाएँ और संबंधित पार्टी जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, को टैक्स हैवन के रूप में पहचाना गया है। गैर-सूचीबद्ध/वदिशी संस्थाएँ या तो व्यक्तगत या गैर-सूचीबद्ध घरेलू उद्यम या वदिशी क्षेत्राधिकार में शामिल उद्यम हैं।

नदिशक मुआवजा और परामर्श व्यय

(Director Compensation and Consulting Expenses):

- नदिशकों का कमीशन, अनुलाभ या अन्य सुविधाएँ और परामर्श शुल्क जैसे एकमुश्त भुगतान वविकाधीन आवंटन से बढ़ जाते हैं। जबकि नीलामी के संदर्भ में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। वास्तव में आँकड़ों से ज्ञात हुआ है कि नीलामी आधारित आवंटन के बाद नदिशक के वेतन में कमी आई है।
- वर्ष 1993 से वर्ष 2011 तक समिति आधारित आवंटन प्राप्त करने वाली फर्मों की बाज़ार हसिसेदारी में वविकाधीन आवंटन के बावजूद नरितर गरिवट आई है जिससे **डच व्याधि (Dutch Disease)** की संभावना बढ़ जाती है।

डच व्याधि (Dutch Disease):

- **किसी भी अर्थव्यवस्था में डच व्याधि की स्थिति तब बनती है जब किसी फर्म को मुफ्त संसाधन मिलने पर वह उन्हें उत्पादक गतिविधियों की बजाय अपरत्याशति लाभ प्राप्त करने के मार्ग तलाशने में लगाती है।**

जोखमि रहति प्रतफिल: वलिफुल डफिल्टर का मामला

(Riskless Returns: The Case of Wilful Default):

- RBI वलिफुल डफिल्टर को ऐसी फर्म के रूप में परिभाषित करती है जो अपनी देयताओं को पूरा करने की क्षमता होते हुए भी अपने पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक करती है।
- किसी फर्म को वलिफुल डफिल्टर तब कहा जा सकता है यदि वह अपनी नधियों का उपयोग उन उद्देश्यों से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिये करती है जिसके लिये ऋणदाता ने उसे ऋण स्वीकृत किया हो।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2018 तक वलिफुल डफिल्टर्स पर ऋणदाताओं का लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए बकाया है। यह बकाया राशि स्वास्थ्य, शक्तिषा और सामाजिक सुरक्षा की आबंटन राशिका दोगुना तथा मनरेगा को आबंटित राशिका लगभग तीन गुना है। ये डफिल्टर कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं जिनमें से वनिर्माण फर्मों की हसिसेदारी सबसे अधिक है।
- भारत में वलिफुल डफिल्टर्स की तीन वशिषिट वशिषताएँ दिखाई देती हैं।
 - वलिफुल डफिल्टर्स गैर-डफिल्टर्स और फर्म जो वास्तविक संकट से ग्रसति हैं, दोनों की तुलना में अधिक अपारदर्शी होते हैं।
 - इरादतन चूककर्त्ता फर्मों (Wilful Defaulting Firms) के प्रमोर्ट्स अपनी पूंजी (शेयर) का लगभग 50% ऋणदाताओं के पास गरिवी रख देते हैं। इसके वपिरीत चूककर्त्ताओं और गैर- इरादतन चूककर्त्ता क्रमशः 30% और 11% ही रखते हैं। हालाँकि वकिसति अर्थव्यवस्थाओं में भी शेयरों का गरिवी रखना प्रचलति है कति भारत में इसने अजीबो-गरीब रूप ले लिया है।
 - वलिफुल डफिल्टर्स संबंधित पक्षों को बड़े करज देते हैं। संकटग्रस्त चूककर्त्ताओं (Distress Defaulters) और गैर-चूककर्त्ताओं (Non-Defaulters) संबंधित पक्षों को दिये गए ऋणों का बकाया शेष नकारात्मक होता है जिसका तात्पर्य यह है कि नमूने में औसत फर्म संबंधित पक्षों के ऋणों की नविल प्राप्तकर्त्ता होती है। दूसरी तरफ इरादतन चूककर्त्ता नविल ऋण प्रदानकर्त्ता होता है।

नषिकर्ष:

- इस प्रकार एक ओर जहाँ व्यापार समर्थक नीतियाँ प्रतसिपर्द्धा को बढ़ाती हैं, बाज़ार वफिलता की स्थिति को ठीक करती है और व्यापारिक जवाबदेही का समर्थन करती हैं, वहीं दूसरी ओर पक्षपातवादी नीतियाँ बाज़ार को नुकसान पहुँचाती हैं। अतः अधिक बाज़ार अनुकूल और कम व्यवसाय अनुकूल होने के लिये सरकार को राजनेताओं और व्यापारियों के गठजोड़ पर लगाम लगनी चाहिये।

